

Regional office

Rajasthan State Pollution Control Board

Address : F-470, Near UCCI Building, M.I.A, Udaipur (Raj.)

Email : rorpcbudaipur@gmail.com Phone no : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/

787

Dated : 14.10.2020

M/s Khaitan Industries
Near Jain Madir, Kherwara,
Distt-Udaipur (Raj.)

Sub : Public hearing as per the EIA Notification dated 14-09-2006 issued by MoEF & CC, GOI for Proposed Expansion of Soapstone Mining project (M.L. No.-48/1983, ML. Area-24.70 Hectare) from 5500 TPA to 150000 TPA located at Near village-Khanmin, Teh.-Kherwara, Distt-Udaipur by M/s Khaitan Industries.

Ref : कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर पत्र क्रमांक एफ39/2()राज./खनन/2019/3070, दिनांक 13.10.2020

Sir,

In reference to District collector, Udaipur Letter no. एफ39/2()राज./खनन/2019/3070 , date 13/10/2020 of public hearing has been decided on 25/11/2020. Please find enclosed a copy of the notice for public hearing with the advice to get it published on/before 24/10/2020 in two newspapers widely circulated in the area, one of which must have state level circulation and one at national level as per provision of MoEF & CC New Delhi notification dated 14/09/2006 and amended time to time. It also requested that copy of the newspaper cutting be provided to this office within three days after publication of notice.

Encl : As above

Your Faithfully

sd

(Vinay Katta)

Regional Officer

Copy to :-

1. District Collector, Udaipur

✓ 2. Incharge I.T., Rajasthan State Pollution Control Board Headquarters, 4, Institutional Area, Jhalana Dungari, Jaipur

sd
14/10

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)

ई-मेल : rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं. : 0294-2491269

No.: RPCB/RO U/UDR/

Dated :

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- मैसर्स खैतान इण्डस्ट्रीज, एम.एल.न० 48/1983 (क्षेत्रफल 24.70 हैक्टर) "खानमीन सोपस्टोन माईन्स", खानमीन, तहसील-खैरवाडा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन (एम.एल.न० 48/1983, क्षेत्रफल 24.70 हैक्टर) उत्पादन परियोजना क्षमता 5500 टन प्रतिवर्ष से 150000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई ।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि खैतान इण्डस्ट्रीज, एम.एल.न० 48/1983 (क्षेत्रफल 24.70 हैक्टर) "खानमीन सोपस्टोन माईन्स", खानमीन, तहसील-खैरवाडा, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना सोपस्टोन (एम.एल.न० 48/1983, क्षेत्रफल 24.70 हैक्टर) उत्पादन परियोजना क्षमता 5500 टन प्रतिवर्ष से 150000 टन प्रतिवर्ष "का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल" (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है।
2. और चूंकि मैसर्स खैतान इण्डस्ट्रीज ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को परियोजना की पर्यावरण स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।
3. और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्यां एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-
 - (1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर
 - (2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूंगरी, जयपुर
 - (3) क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच अलीगंज, लखनऊ-226024 (UP)।
 - (4) उपखण्ड अधिकारी, खैरवाडा, जिला-उदयपुर
 - (5) महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उदयपुर
 - (6) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, उ-प (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - (7) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)

अतः सर्व साधारण को नाटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 25.11.2020 (बुधवार) को 11:30 A.M. बजे, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम पंचायत खानमीन, तहसील-खैरवाडा, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप कोविड-19 कोरोना महामारी को ध्यान में एवं सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए प्रस्तुत कर सकते हैं साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं

क्षेत्रीय अधिकारी